भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 568

दिनांक 07.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

दूषित पेयजल के कारण मौतें

568. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती छाया वर्मा:
श्री राम नाथ ठाकुर:
चौधरी सुखराम सिंह यादव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूषित पेयजल के कारण देश में हर साल एक लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दूषित पेयजल और पानी के दूषित होने के कारण होने वाली मौतों का अनुमान लगाने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण करेगी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क) से (ङ): पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। जल आपूर्ति/जल एवं स्वच्छता/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और/या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अर्ध-सरकारी (पैरास्टेटल) संगठन अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जल की आपूर्ति और आपूर्तित जल की गुणवत्ता का प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

भारत सरकार अगस्त 2019 से, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का क्रियान्वयन राज्यों की भागीदारी से कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेजेएम के तहत निधियों का आबंटन करते समय, आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है।

जल जीवन मिशन के तहत, ग्रामीण परिवारों हेतु पीने योग्य नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की योजनाएं शुरू करते समय गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और चालू करने में समय लगता है, अत: पूर्णत: एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों को विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना करने की सलाह दी गई है। बच्चे जल-जनित रोगों और पेयजल में संदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, आश्रमशालाओं आदि में प्राथमिकता आधार पर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 2 अक्टूबर, 2020 को एक विशेष अभियान चलाया गया था। परिणामस्वरूप, देश के 8.44 लाख (82.03%) विद्यालयों और 8.63 लाख (77.22%) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आईएस:10500 अंगीकार किया जाना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल स्रोतों के रासायनिक तथा भौतिक मानदंडों के लिए वर्ष में एक बार तथा जैविक मानदंडों के लिए वर्ष में दो बार परीक्षण कराने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता हेतु जल नमूनों का परीक्षण करने तथा पेयजल स्रोतों का नमूना लेने, सूचना देने, निगरानी तथा पर्यवेक्षण करने में समर्थ बनाने हेतु एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच की सूचना से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध हैं तथा निम्नलिखित लिंक पर भी देखे जा सकते हैं।

https://neer.icmr.org.in/website/main.php

यदि परीक्षण किया गया जल का नमूना दूषित हो, तो यह पोर्टल उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को स्वचालित अलर्ट भी प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक गांव में आशा कार्मिकों, स्वास्थ्य कार्मिकों, वीडब्ल्यूएससी सदस्यों, अध्यापकों आदि जैसे 05 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की भी सलाह दी गई है ताकि ग्राम स्तर पर एफटीके/बैक्टिरियोलॉजिकल शीशियों (वॉयल) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता की जांच की जा सके तथा इसे इस पोर्टल पर सूचित किया जा सके।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल-जनित रोगों जैसे गंभीर अतिसार रोग, हैजा, वायरल हेपेटाइटिस-ए, वायरल हेपेटाइटिस-ई और लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है। विभाग द्वारा दूषित पेयजल के कारण मरने वालों की संख्या का रखरखाव नहीं किया जाता है।

***

अनुबंध

दिनांक 07.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 568 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल-जनित रोगों के मामलों की संख्या

जल-जनित रोग	सूचित मामलों की संख्या		
	2019	**2020**	**2021**
गंभीर अतिसार रोग	1,76,47,630	89,34,341	59,07,572
हैजा	615	70	209
वायरल हेपेटाइटिस-ए	18,475	5,303	4,077
वायरल हेपेटाइटिस-ई	9,634	2,362	1,359
लेप्टोस्पायरोसिस	7,335	4,950	6,086